संख्या- 664/2011/17(120)/XXVii(8)/04

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
प्रभारी सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभागः वित्त (अनुभाग–8) देहरादूनः दिनांकः 18 अगस्त, 2011

विषयः **व्यापार कर की पुरानी बकाया के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना "वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम" 2011–2012 लाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापार कर की पुरानी बकाया के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड की माफी के सम्बन्ध में आपसे प्राप्त प्रस्ताव एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों पर शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त इस प्रकार की एक "वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम" लाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना को लाये जाने का उद्देश्य पुरानी इसप्रकार की बकाया, जो वसूली योग्य नहीं रह गयी है, का समापन करने एवं ऐसे बकायेदार जो मूल बकाया की राशि तो जमा कराना चाहते हैं लेकिन अर्थदण्ड व ब्याज की अत्यधिक देनदारी के कारण इसे जमा नहीं करा पाते हैं उन्हें इस प्रकार की बकाया जमा करने का अवसर प्रदान कराना है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

(1)– यह व्यापार कर की पुरानी बकाया के समापन एवं ब्याज/ अर्थदण्ड माफी योजना "वन टाइम सेटलमेन्ट स्कीम" 2011–2012 कहलायी जायेंगी और योजना के आरम्भ होने की अवधि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आयुक्त कर को योजना की अवधि इसके पश्चात 3 माह बढ़ाने का अधिकार होगा।

(2)– उक्त योजना दिनांक 01–04–1988 से दिनांक 31–03–2006 तक सृजित व्यापार कर/केन्द्रीय बिक्रीकर एवं प्रवेश कर की बकाया एवं उस पर देय ब्याज/अर्थदण्ड से सम्बन्धित होगी। अर्थदण्ड की वही राशि योजना में सम्मिलित होगी जो मूल व्यापार कर/ केन्द्रीय कर/प्रवेश कर की धनराशि जमा न करने से सम्बन्धित हो।

(3)– योजना की अवधि में एक लाख तक बकाया के सम्बन्ध में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर देय ब्याज एवं अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ कर दी जायेगी।

(4)– योजना की अवधि मे जमा की जाने वाली धनराशि एक लाख से अधिक परन्तु 10 लाख तक की बकाया के सम्बन्ध में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर देय ब्याज की 90 प्रतिशत धनराशि और अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ कर दी जायेगी।

4759
30/8/11

Vivid Patra/Commissioner to PS/DT

550
सूचना विभाग के
आवश्यक प्रचार प्रसार
कार्य।
20.8.11

(5)– योजना की अवधि मे जमा की जाने वाली धनराशि दस लाख से अधिक के सम्बन्ध में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर देय ब्याज की 75 प्रतिशत धनराशि और अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ कर दी जायेगी।

(6)– दो लाख से अधिक के बकायेदारों के लिये यह सुविधा अनुमन्य होगी कि यदि वे योजना अवधि में 25 प्रतिशत बकाया जमा करा देते हैं और 75 प्रतिशत अवशेष बकाया के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार जमानत प्रस्तुत करते हैं तो अवशेष धनराशि वह 1 वर्ष की अवधि में 2 समान किश्तों में जमा करा सकते हैं।

(7)– यदि व्यापारी द्वारा बकाया के सम्बन्ध में अपील अथवा पुनरीक्षण दायर किये गये हैं, तो योजना का लाभ लेने के लिये व्यापारी द्वारा अपील/पुनरीक्षण याचिका वापस ले ली जायेगी। इस सम्बन्ध में न्यायालय से वाद वापसी सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

(8)– उक्त वर्षो की सृजित मांग व उस पर देय अर्थदण्ड/ ब्याज यदि पूर्व में जमा करा दिया गया है तो वह इस योजना के अन्तर्गत वापसी योग्य न होगा।

(9)– उक्त के अतिरिक्त आयुक्त कर के प्रस्ताव के अनुसार यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01–04–1980 से 31–03–1988 के मध्य सृजित ऐसी मांग, जिसमें फर्म बन्द हो चुकी है और बकायादारों के सम्बन्ध में संयुक्त जॉच के उपरान्त भी कोई पता नहीं लग पाया है और बकायादारों के पास कोई चल–अचल सम्पत्ति भी नहीं है, से सम्बन्धित व्यापार कर की बकाया राशि एवं इस राशि पर देय ब्याज/अर्थदण्ड को माफ करने का अधिकार विभाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का अनुमोदन लेकर सम्बधित कर निर्धारण अधिकारी को होगा।

उक्त योजना के अन्तर्गत दी गयी छूट के आधार पर योजना की अवधि में बकाया में से अधिक से अधिक धनराशि जमा कराये जाने का प्रयास कराया जाय। योजना का प्रचार–प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से भी कराया जाय। प्रत्येक माह योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि की प्रगति रिपोर्ट अधिकारीवार शासन को प्रेषित की जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी इस योजना को सफल बनाने के लिये प्रयासरत हैं। अधिकारी का वार्षिक मूल्यांकन उनके स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत जमा करायी गयी धनराशि से भी होगा।

समस्त अधिनस्थ अधिकारियों को शासन के निर्देशों से अवगत कराते हुए योजना को सफल बनाने हेतु अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
प्रभारी सचिव।